राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 767/2024

विनोद कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड गंगापुरसिटी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है एवं 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता है। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर खण्ड गंगापुरसिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खण्ड गंगापुरसिटी से उपखण्ड सपोटरा (करौली) बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के लगभग एक वर्ष की अल्पावधि में कर दिया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 24.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी विकलांग व्यक्ति है और उसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को प्रारम्भ में विकलांग श्रेणी के तहत आदेश दिनांक 02.02.1990 (अनुलग्नक–4) द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगाया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ॰ संजय प्रभुने बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक

10.04.2019 एवं माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 766/2020 जगदीश प्रसाद रैगर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2020 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.02.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर खण्ड गंगापुरसिटी में कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखण्ड सपोटरा जिला करौली किया गया किन्तु अपीलार्थी का यह कथन निराधार है कि उसका स्थानान्तरण अल्पाविध में दूरस्थ स्थान पर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता/जनहित में किया गया। प्रशासनिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.10.2015 के अनुसरण में राजसेवकों के स्थानान्तरण विभिन्न प्रशासनिक कारणों एवं राज्यहित में किए जाते है, इस परिपत्र के अनुसार उक्त स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आधार पर जनहित में जारी किया गया है। राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 17 के अनुसार जनहित और प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानान्तरण लोक सेवकों को आज्ञापक रूप से देय होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी विकलांग व्यक्ति है, जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों द्वारा दिव्यांग राजसेवकों के पदस्थापन में उनकी विकलांगता के दृष्टिगत विचार करने के निर्देश है। अतः उपर्युक्त मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं

कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.02.2024 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य